राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपी राकेश, हीरा सिंह एवं सुजान सिंह सहित श्री आर. पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

आरोपी प्रवेन्द्र सिंह, अजीत सिंह एवं लालू उर्फ लालाराम सिंहत श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता।

आरोपी धर्मेन्द्र एवं कुलदीप की ओर से श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता ने उपस्थित होकर स्वयं का उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर आहत / फरियादी तथा आरोपीगण ने उपस्थित होकर उनके मध्य राजीनामे की चर्चा हेतु प्रकरण मीडिएशन के लिए रैफर किये जाने का निवेदन किया।

निवेदन सद्भावी प्रतीत होने से विचारोपंरात स्वीकार किया गया।

प्रकरण प्रशिक्षित मीडिएटर सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी को रैफरल ऑर्डर सहित प्रेषित किया जाये।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

जे.एम.एफ.सी. गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत।

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त, जिसके अनुसार उभय पक्ष के मध्य शमन कार्यवाही करने हेत् सहमति बन गई है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी दिलीप पुत्र ब्रजिकशोर शर्मा, निवासी :— ग्राम पिपाहड़ी ने उसके अधिवक्ता श्री एस.एस.तोमर के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी / आवेदक दिलीप ने उसके अधिवक्ता श्री एस.एस.तोमर के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 379 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 ''02'' द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

फरियादी दिलीप अभियोजित अपराध की धारा 379 भा. द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री एस.एस.तोमर अधिवक्ता द्वारा की है। फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजित की धारा 379 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में आरोपीगण से पृथक—पृथक भैंस चोरी के एवज् में उन्हें प्राप्त राशि के रूप में जब्तशुदा 21,000/— रूपये पर आरोपीगण ने उनका कोई दावा ना होना व्यक्त किया है। प्रकरण में चोरी गई भैंस जब्त नहीं की गई है। फलतः आरोपीगण से जब्तशुदा 21,000/— रूपये फरियादी दिलीप को अपील अवधि पश्चात् प्रदान कर व्ययनित की जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

जे.एम.एफ.सी., गोहद